

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 24-3-14

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-64-छोटानागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

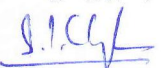
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्य पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/64- छोटेनागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545	392.96

आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ बानबे लाख छियानबे हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 1595.00 लाख (पन्द्रह करोड़ पंचानवे लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्य के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्य की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 294

राँची, दिनांक :- 24-3-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड पो. - हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

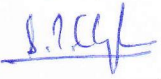

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 294

राँची, दिनांक :- 24-3-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख - I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)


(शिवानन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(अविनाश कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 294

दिनांक 24-3-14

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियध्य,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -789-अनुसचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना

उप शीर्ष -64-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण

विरस्तुत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180789640545

वित्तीय वर्ष 2013-14 में संशोधित बजट उपबंध 1595.00 लाख (पन्द्रह करोड़ पंचानवे लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	31 मार्च 2013 तक व्यय	शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	औरंगा निर्माण प्रमंडल-पांकी	मेदिनीनगर	अमानत बराज योजना	34110.91	44/04.03.03	24411.900	24.5029	65.9200	90.4229	आवंटित राशि परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्य
2	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर पाटन	मेदिनीनगर	उत्तर कोयल जलाशय योजना	81472.30	1645/26.09.98	78577.055	21.0000	70.8800	91.8800	
3	रूपाकण प्रमंडल सं.-1, मेदिनीनगर	मेदिनीनगर	अमानत बराज योजना	34110.91	44/04.03.03	24411.900	0.0000	256.1600	256.1600	
योग							45.5029	392.9600	438.4629	
आवंटित राशि - ₹ तीन करोड़ बानबे लाख छियानबे मात्र।										

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव(अभि०)

(शिवानन्द राय)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)

सचिव

पत्रांक :- २१५

दिनांक २५-३-१५

का अनुलनक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड 49P470180789640545

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औरंगा निर्माण प्रमंडल-पांकी	अमानत बराज योजना	अमानत मुख्य नहर के आर०डी० 35.5 एवं 38.80 पर सी०डी० निर्माण	20.0000	0.0000	20.0000	
			आर०.डी. 12.50 पर नया एस.एल.आर. पुल का निर्माण	0.0000	20.0000	20.0000	
			आर०.डी. 17.10 पर नया एस.एल.आर. पुल का निर्माण	0.0000	20.0000	20.0000	
			अमानत बराज एवं कंट्रोल रूम की सुरक्षा कार्य हेतु चौकिदार	0.0000	1.9200	1.9200	
			5 अद्द निरीक्षण वाहन, 2 अद्द फोटो कॉपीयर फैक्स मशीन एवं जेनेरेटर का वार्षिक सम्पोषण कार्य	3.0000	2.0000	5.0000	
			बराज के कन्ट्रोल रूम का अवशेष कार्य	0.0000	2.0000	2.0000	
			आर०.डी. 6.9 पर नया एस.एल.आर. पुल का निर्माण	0.0000	20.0000	20.0000	
			मनीसूट सं०-04 / 2004 दिनेश प्रसाद बानाम राज्य सरकार एवं अन्य में भुगतान हेतु	1.5029	0.0000	1.5029	
			योग	24.5029	65.9200	90.4229	
			2	जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर पाटन	उत्तर कोयल जलाशय योजना	मोहम्मदगंज बराज के डेक स्लैब के अवशेष कार्य	0.0000
उत्तर कोयल दौयी मुख्य नहर के वि० रू० 0.00 से 103.00 तक बाँध मजबूतीकरण डोबेल एवं संरचनाओं का मरम्मतिकरण	0.0000	5.0000				5.0000	
कन्ट्रोल रूम की मरम्मति सुरक्षा एवं घेराबंदी	0.0000	2.5800				2.5800	
खरीफ एवं रबी सिंचाई हेतु मजदूरों का भुगतान	0.0000	3.3000				3.3000	
उत्तर कोयल परियोजना उच्च विद्यालय मंडल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी का वर्ष 13-14 का वेतन	21.0000	0.0000				21.0000	
योग	21.0000	70.8800	91.8800				
3	रुपाकण प्रमंडल सं०-1, मेदिनीनगर	अमानत बराज योजना	अमानत बराज परियोजना अन्तर्गत औरंगा दौया मुख्य नहर से निकलने वाली वितरणी के लिए मुआवजा भुगतान	0.0000	256.1600	256.1600	
			योग	0.0000	256.1600	256.1600	
सकल योग				45.5029	392.9600	438.4629	
आवंटित राशि — ₹ तीन करोड़ बानबे लाख छियानबे मात्र।							

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)(शिवाजीनन्द राय)
संयुक्त सचिव (अभि०)(अविनाश कुमार)
सचिव